



# VISION IAS

www.visionias.in

## GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1398)

|                   |           |                     |        |
|-------------------|-----------|---------------------|--------|
| Name of Candidate | Mohan Lal |                     |        |
| Medium Hindi/Eng. | Hindi     | Registration Number | 356415 |
| Center            |           | Date                |        |

| INDEX TABLE           |               |                | INSTRUCTIONS   |
|-----------------------|---------------|----------------|--|
| Q. No.                | Maximum Marks | Marks Obtained |  |
| 1(a)                  | 10            |                | <p>1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).<br/>उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।</p> <p>2. There are <b>FOURTEEN</b> questions printed in <b>ENGLISH &amp; HINDI</b> इसमें चौदह प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।</p> <p>3. <b>All questions are compulsory.</b><br/>सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।</p> <p>4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.<br/>प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।</p> <p>5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.<br/>प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।</p> <p>6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.<br/>प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p> <p>7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.<br/>उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।</p> |
| 1(b)                  | 10            |                |  |
| 2(a)                  | 10            |                |  |
| 2(b)                  | 10            |                |  |
| 3                     | 20            |                |  |
| 4(a)                  | 10            |                |  |
| 4(b)                  | 10            |                |  |
| 5                     | 20            |                |  |
| 6                     | 10            |                |  |
| 7                     | 10            |                |  |
| 8                     | 10            |                |  |
| 9                     | 20            |                |  |
| 10                    | 20            |                |  |
| 11                    | 20            |                |  |
| 12                    | 20            |                |  |
| 13                    | 20            |                |  |
| 14                    | 20            |                |  |
| Total Marks Obtained: |               |                |  |
| Remarks:              |               |                |  |
| Signature of Examiner |               |                |  |

16-B, 2<sup>nd</sup> Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar

## EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

## SECTION - A

1. (a) Bring out Gandhiji's philosophy of Means and Ends. (150 words) 10  
साधन और साध्य संबंधी गांधीजी के दर्शन को स्पष्ट कीजिए।

साधन से साध्य इन  
मूल्यों से हैं जिनका प्रयोग लक्ष्य  
अर्थात् साध्य प्राप्त करने हेतु किया  
जाता है।

जैसे - यात्रा करने के लिए  
रेल टिकट को प्राप्त करना था  
बिना टिकट के भी यात्रा करने की  
कोई चाह रह सकता है।

गांधीजी का साध्य व साधन का दर्शन :-

→ गांधीजी के अनुसार साध्य  
प्राप्त करने हेतु साधनों का  
पवित्र होना जरूरी है।  
अर्थात् अपने लक्ष्यों को  
प्राप्त करने हेतु तरीकों का  
नैतिक होना अनिवार्य है।

→ जैसे - गांधीजी का अहिंसात्मक  
सत्प्रदी प्रतिरोध।

इस संबंध में गांधीजी  
का दर्शन कार्ल मार्क्स से भिन्न

हैं जो साक्ष्य प्राप्त करने हेतु किसी  
की साक्ष्य अपनाने को कहता है।  
उदाहरण के तौर पर ऊपर दिए  
जाए उदा. में जो व्यक्ति बिना टिकट  
यात्रा कर रहा है वह भी गंतव्य स्थान  
तक पहुँचेंगा तथा टिकट वाला भी,  
परन्तु दोनों के साक्ष्य अलग अलग  
हैं।

अतः कहा जा सकता है कि बिना  
पवित्र साक्ष्यों से मन में भ्रम उत्पन्न  
होता है जो लक्ष्य मर्यादा साध्य  
प्राप्ति में रुकावट डालता है, इसलिए  
साक्ष्य हेतु साक्ष्यों का पवित्र होना  
जरूरी है।

1. (b) Probity is an essential condition of good governance. Explain.

(150 words) 10

ईमानदारी (प्रोबिटी) सुशासन की एक अनिवार्य शर्त है। व्याख्या कीजिए।

ईमानदारी व्यक्तित्व का वह नैतिक गुण होता जो उसे स्वार्थ से परे रखता है अर्थात् वह जनहित व उपशान्तिवाद सिद्धांतों को स्वयं की इच्छा स्वार्थ से ऊपर रखता है।  
सुशासन में ईमानदारी की भूमिका :-

ईमानदार कर्मचारी या सिविल सेवक



सामाजिक हितों को व्यक्तिगत हितों के ऊपर प्राथम्यता प्रदान करेगा



स्वार्थहीन स्वभाव का विकास होगा



आमजन तथा वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति, करुणा तथा संवेदनशील बनेगा



उपशान्तिवाद का प्रचार रहेगा



समाजेगी विकास संभव



सुशासन में सुधार होगा।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर  
 कहा जा सकता है कि समाज  
 के इतिहासी एक प्रमुख अन्वेषण  
 क्षेत्र है, क्योंकि यह समाज में  
 समरसता तथा सामाजिक एकता  
 जैसे गुणों का निर्माण करती है।

2. (a) What do you understand by ethical dilemma? Bring out some examples of ethical dilemma often faced by civil servants. (150 words) 10

नैतिक दुविधा से आप क्या समझते हैं? सिविल सेवकों द्वारा प्रायः सामना की जाने वाली नैतिक दुविधा के कुछ उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए।

किसी दो नैतिक मूल्यों के आपसी टकराव से जो व्यवस्था उत्पन्न होती है, उसे नैतिक दुविधा कहा जाता है। सार्वजनिक जीवन में नैतिक दुविधा के अनेक अवसर होते हैं।

उदाहरण के तौर पर एक सिविल सेवक जो अच्छे विकासार्थी है, उसके पास सामान्य वर्ग की अतिगरीब महिला किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों के अनुसार योग्य नहीं है जबकि वास्तविकता में वह इस योजना की हकदार है।

इस स्थिति में सिविल सेवक के समक्ष एक ओर अपने शासन की कर्तव्यनिष्ठा जैसे नैतिक शून्य का रास्ता होता है तो दूसरी ओर करणों व सहानुभूति जैसे अंतःमन

नैतिक मूल्य होते हैं जिनका  
 परस्पर दृढ़ उत्पन्न हो जाता है।  
 इस स्थिति में करुणा,  
 सहानुभूति बनाम कर्तव्यनिष्ठा जैसी  
 नैतिक पुष्टि उत्पन्न हो जाती है,  
 अतः आवश्यक है कि  
 सिविल सेवक को संतुलनात्मक  
 उपाय अपनकर उल्लिखित शक्ति का  
 प्रयोग कर नैतिक मूल्यों युक्त  
 निर्णय लेना चाहिए।

2. (b) Why are certain rights considered universal in nature? Explain using examples. (150 words) 10

कुछ अधिकारों को सार्वभौमिक प्रकृति का क्यों माना जाता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

अधिकार वह होते हैं जो  
कुछ काले या न काले का निर्णय  
लेने में सहायता करते हैं, हालांकि  
ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं,  
जैसे - मत देने का अधिकार।  
जबकि कुछ अधिकार ऐसे  
होते हैं जो प्रकृत आधारेत हैं  
(निश्चय)  
उन्हें सार्वभौमिक प्रकृति का माना  
जाता है। जैसे - जीवन जीने का  
अधिकार।

जीवन जीने का अधिकार,  
स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, धार्मिक  
स्वतंत्रता का अधिकार सोहेत अनेक  
अधिकार हैं जिन्हें मानवाधिकार या  
सार्वभौमिक प्रकृति का माना जाता  
है क्योंकि इन अधिकारों पर सभी  
धर्मियों का समान हक होता है एवं  
बनने बिना पृथ्वी पर बिनास ही  
संभव नहीं है।

जैसे - सभी को स्वस्थ एवं ग्रहण  
कारण का अधिकार यह सुनिश्चित  
करता है कि यह संपूर्ण विश्व के  
लिए सार्वभौमिक प्रकृति का है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है  
कि जैसे सार्वभौमिक अधिकारों के  
प्रति संपूर्ण विश्व को एक एकीकृत  
अनुभवात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए  
जिससे शरणार्थियों (यहै पशुविक्रय,   
शुद्ध, गृहशुद्ध साहित्य) को भी  
सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त हो सकें।

3. Explain in brief, what you understand by the following:

संक्षेप में समझाइए कि आप निम्नलिखित से क्या समझते हैं:

(a) Beliefs

विश्वास

(b) Values

मूल्य

(c) Norms

मानक

(d) Ethics

नीतिशास्त्र

(e) Morals

नैतिकता

(300 words) 20

(a) विश्वास :-

विश्वास मनुष्य का वह नैतिक गुण होता है जो उसे किसी काम को करने या किसी आस्था के प्रति सह-निश्चय होने का अनुभव कराता है।

जैसे - किसी वर्ग द्वारा एक सामूहिक संगठन के प्रति विश्वास की भावना।

विश्वास के द्वारा किसी कार्य को सरल बनाया जा सकता है।  
जैसे - किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसे जीत की ओर ले जाता है।  
उदाहरण के तौर पर विश्वास के कारण

अनेक प्रयोग फल होने के बाद भी  
रकरफोर्ड द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज  
करने में सफलता हासिल कला

(b) मूल्य :-

मूल्य वह नैतिक गुण  
होता है जो किसी व्यक्ति, समाज  
संगठन या देश को अपने लक्ष्यों  
की प्राप्ति हेतु अपनाये गये तरीकों  
की प्रकृति को दिखाता है।

जैसे - किसी सिविल सेवक द्वारा  
सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी,  
कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, करुणा जैसे  
मूल्यों को अपनाना।

मूल्यों की प्रकृति अनैतिक  
भी हो सकती है। जैसे - धोरी के  
द्वारा धन अर्जित करना, भ्रष्टाचार  
आदि।

अतः मूल्य मनुष्य को  
सकारात्मक या प्रकारात्मक पक्षों की  
ओर निर्णय करने में सहायता प्रदान  
करते हैं।

(c) मानदंड :-

यह उन मूल्यों का एक समुच्चय होता है जो सार्वजनिक जीवन में क्या करने व क्या न करने को निर्धारित करता है।

जैसे - सिविल सेवाओं हेतु नैतिक (मान्यता) संरचना तथा तन्माधार संरचना का निर्माण।  
बैंक अधिकारी द्वारा उपनाथ १९९ मानदंड जारी।

(d) नीतिशास्त्र :-

यह किसी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नैतिक मूल्यों का बॉक्स होता है जिसके प्रयोग से वह संगठन या व्यक्ति अपने लक्ष्यों को नैतिक तरीकों से प्राप्त कर सके।

जैसे - किसी कंपनी में स्वतंत्र डायरेक्टर को चुनने वक्त उन नैतिक विधिक मूल्यों का ध्यान रखना जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिए गए हैं।

(10) नीतिकता :-

नीतिक मूल्यों, नीतिशास्त्र इत्यादि में उल्लंघित रुढ़ान्धार कृत्यों को करने को ही नीतिकता कहा जाता है।

नीतिकता का गुण किसी भाषि, समाज, संगठन या राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है।

जैसे - नीति निर्देशक तत्वों में शान्ति स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बलवा देना, देश की नीतिकता को स्थापित करना है।

4. (a) What do you understand by the terms transparency and accountability in administration? Bring out the relationship between the two.

(150 words) 10

प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से आप क्या समझते हैं? दोनों के मध्य संबंध को स्पष्ट कीजिए।

पारदर्शिता का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करते समय कृष्य भी तथ्यों या तौर-तरीकों को न छुपाना तथा जवाबदेही का अर्थ है कि उन कार्य को जिलने किया है के प्रति जवाबदेह होना ताकि कार्य की विश्वसनीयता बनी रहे।

प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही की क्रमिका तथा अंतर्संबंध :-

सिविल सेवक या अधिकारी द्वारा पारदर्शी तरीके से अधिकारों का प्रयोग करना।



आम-जन तक सूचना का प्रसार संभव होगा



# VISION IAS™

व्यापक लोग कम सार्वजनिक कार्यो के प्रति जागरूक होंगे।



सार्वजनिक सहभागिता का विकास



भ्रष्टाचार में लगी



जवाबदेहिता बढेगी



सुशासन में सुधार होगा।

सुशासन में सुधार हेतु पारदर्शिता व जवाबदेहि जैसे मूल्यों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस संबंध में सूचना का अधिकार (RTI) अधि. 2015 सील का पत्थर स्थापित हुआ है। अतः इसमें सार्वजनिक स्वतंत्रता माने की आवश्यकता है।

॥

4. (b) Discuss whether some restrictions on enjoyment of freedom are necessary in the interest of social harmony. (150 words) 10

चर्चा कीजिए कि क्या सामाजिक समरसता के हित में स्वतंत्रता के उपभोग पर कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं।

एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश में नागरिकों को जिस हद तक स्वतंत्रता प्रदान की जाए जिससे सामाजिक सद्भाव एवं समरसता बनी रहे, प्रश्न हमेशा से हुआ है।

सामाजिक समरसता का अर्थ है कि विभिन्न वर्गों या लोगों के हित परस्पर विरोधी नहीं हो।

इसलिए सामाजिक समरसता के हित में स्वतंत्रता के उपभोग पर कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं।

व्याप्तियाँ :-

- वह परस्पर जुट विरोधी भावनाओं के विकास को रोकता है।
- विश्वास को बढ़ाता है।
- सभी को सीमित स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- मानवीय मूल्यों का विकास संभव होगा।

→ सामाजिक सेटलन स्थापित होगा।  
 इसलिए ही भारतीय संविधान  
 में भी सामाजिक समरसता हेतु  
 स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाये गए  
 हैं। जैसे - सम्मेलन के आयोजन  
 को शांतिपूर्वक बनाने हेतु हथियारों  
 का प्रयोग वर्जित, काम करने की  
 स्वतंत्रता पर बलात्क्रम व बालकों  
 के अपहरण का निषेध भादि।

5. Differentiate between the following:  
निम्नलिखित के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए:

(a) Empathy and Compassion  
सहानुभूति और संवेदना

(b) Impartiality and Non partisanship  
निष्पक्षता और गैर-तरफदारी

(c) Aptitude and Attitude  
अभिरुचि और अभिवृत्ति

(d) IQ and EQ  
आई.क्यू. और ई.क्यू.

(300 words) 20

(a) सहानुभूति और संवेदना :-

सहानुभूति किसी के दर्द को समझना तथा उसके प्रति अनुकूल प्रिया करना है।

जैसे - किसी अशौभनीय घटना पर सहानुभूति परिवारजनों के साथ सहानुभूति रखना।

संवेदना मन का वह आंतरिक गुण है जो आंतरिक बौद्धिक शक्ति के भाव से किसी गलत कृत्य या अविचारणीय प्रवृत्ति पर उत्पन्न होता है।

(b) निष्पक्षता तथा गैर-तरफदारी :-

निष्पक्षता का अर्थ है सभी के साथ समान शिष्टाचार में समान व्यवहार करना तथा किसी भी तरह का भेदभाव न करना।

गैर-तरफदारी का अर्थ है प्रायः-  
पक्षीयता से बचना। अर्थात् अपने स्वयं संबंधियों हेतु किसी भी प्रकार की तरफदारी न करना जिससे समानता का वैतनिक गुण स्थापित हो सके।

(c) अभिरुचि एवं अभिवृत्ति :-

(d) I & II :-

I किसी व्यक्ति की सीपने  
की क्षमता, जानना करने की क्षमता  
जैसे मूल्यों को निर्धारित करती हैं।

जबकि II (इमोशनल बुद्धिमत्ता)  
किसी व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुरूप  
मानसिक समझ तथा स्वरूपों व  
कारण जैसे गुणों से युक्त होती  
है।

संशासन के संचालन हेतु  
आवश्यक है कि एक लोकसेवक प्रथम  
सार्वजनिक व्यक्ति I के साथ II  
जैसे नैतिक गुणों में निपुण हो।  
जिससे संशासन स्थापित किया  
जा सके।

6. Analyse the role played by family and educational institutions in development of one's character. (150 words) 10

व्यक्ति के चरित्र के विकास में परिवार और शैक्षिक संस्थानों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का विवेचन कीजिए।

व्यक्ति अनुभवों से सीखता है, जानी होता है, जो कालक्रम से सीखता है, महापुरुष होता है तथा जो स्वभाव से सीखता है - पशु होता है।

व्यक्ति के चरित्र निर्माण का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है तथा वह अपने आस-पास वातावरण के अनुकूल अनुकरण करता है।

व्यक्ति के चरित्र निर्माण में परिवार की भूमिका :-

→ बच्चे के प्रथम शिक्षक उसके माता-पिता होते हैं एवं प्रथम शिक्षण संस्थान उसका परिवार।

→ जन्म से ही वह अपने परिवार व माता-पिता से संस्कारों को ग्रहण करता है जैसे - बड़ों की आज्ञा करना, चीरी न करना आदि।

# VISION IAS™

चरित्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका :-

→ अगली अवस्था में शिक्षण संस्थानों से ल्याये सामाजिक दृष्टांत, समस्तता जैसे गुणों को सीखता है। एवं व्यक्त्यात्मिक कौशल तथा विचार करने व जल्पना करने के गुणों को सीखता है।

ये शिक्षण संस्थानें व्यक्ति के चरित्र हेतु नैतिक मूल्यों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे - सत्यनिष्ठा, इमानदारी, संवेचना आदि गुणों का विकास।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वास्तविकता में परिवार तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा दिये गए संस्कार व शिक्षा ही प्रभावस्था में उसके चरित्र को निर्धारित करती है।

7. What do you understand by utilitarianism? Illustrate with examples the grounds on which it has been criticized. (150 words) 10

उपयोगितावाद में आप क्या समझते हैं? उदाहरणों के साथ उन आधारों का वर्णन कीजिए जिन पर इसकी आलोचना की गई है।

उपयोगितावाद का अर्थ है कि किसी भी संसाधनों तक अधिकतम लोगों की पहुँच स्थापित करना। अर्थात् किसी सामाजिक योजना में अधिक लाभार्थियों तक सुगम पहुँच स्थापित करना ही उपयोगितावाद कहलाता है।

हालांकि अनेक अवसरों पर निर्णय लेने में सहायक उपयोगितावाद सिद्धांत की मालोचना भी की गई है। जैसे -

→ बहुसंख्यकों के बावजूद एक वर्ग हितपूर्वक रह जाता है जो इस सिद्धांत के कारण लाभ प्राप्त करते हैं वांछित हो जाता है।

जैसे - किसान सम्मान निधि में जमीन की उत्पादकता की जगह कुल जमीन के क्षेत्रफल को मानक मानना।

→ यह सिद्धांत अनैतिक कृत्य को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

जैसे - किसी संगठन में आर्थिक लाजों द्वारा रिजल्ट लेने को सही साबित कर सकता है कि अन्य लोग भी ज़ही कर रहे हैं।

हालांकि उपभोगितावाद सिद्धांत किसी सिविल सेवक या सार्वजनिक व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से भी किसी में विनियम लेने में सहायता प्रदान करता है।

8. What do you understand by the term 'conflict of interest'? How can conflict of interest in public service be resolved? (150 words) 10

'हित-संघर्ष' पद में आप क्या समझते हैं? लोक सेवा में 'हित-संघर्ष' का समाधान कैसे किया जा सकता है?

हित-संघर्ष को, समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी एक ही काम या लक्ष्य हेतु लोगों के परस्पर विरोधी भावनाओं को अपनाना।

जैसे - लोक सेवा में सिविल सेक्टर द्वारा उस अग्निही या सामन्त करना जहाँ व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक हितों के बीच टकराव हो। उदाहरण के तौर पर ऑफिस पंजीयन के वक्त से तुरन्त पहले किसी पारिवारिक समस्या का होना या फिर राजनीति-हस्तक्षेप के कारण हित संघर्ष।

लोक सेवा में हित-संघर्ष का समाधान:

→ लोक सेक्टर को गृह निष्पक्ष रहना चाहिए कि उसे नैतिक संहिता का पालन कर किस और स्ट्रेण्ड लेना है।

→ राजनीतिक हित संघर्षों को

रहने में लोकसेवक को जनहित सिद्धांत को मुख्य प्रदान की जानी चाहिए।

- व्यापकता दितां से ऊपर सार्वजनिक हितों को अपनाना।
- अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना।
- नैतिक मूल्यों जैसे- ईमानदारी, सत्यनिष्ठा भावों को संस्कृत विवशित करना भावों।

उपर्युक्त उपागम अपनाकर लोक-सेवक अपने सार्वजनिक जीवन में हित-संघर्ष के समाधान हेतु बेहतर रास्ता निकाल सकता है जिससे उसकी कार्यक्षमता व दक्षता भी वृद्धिप्राप्त है।

SECTION – B

In the following questions, carefully study the cases presented and then answer the questions that follow (in around 250 words):

9. Today, homosexuality and queer identities may be acceptable to more Indians than ever before, but within the boundaries of family, home and school, acceptance of their sexuality and freedom to openly express their gender choices still remain a constant struggle for LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer) people.

While LGBTQ voices heard through several online and real-world platforms form an important part of LGBTQ activism, these expose only a small part of the diverse challenges faced by the community.

In light of this situation:

- (a) Explain the ways in which discrimination against LGBTQs creates problems for them in different aspects of life.
- (b) What attitudinal changes are necessary to adopt a more humane approach towards this group for their betterment and assimilation in the society? (20)

वर्तमान समय में, भले ही समलैंगिकता और समलैंगिक पहचान भारतीयों को पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन परिवार, घर और विद्यालय की सीमाओं के भीतर, अपनी लैंगिकता (मेकशूएलटी) और लैंगिक पसंद को खुलकर व्यक्त करने की स्वतंत्रता की स्वीकृति अभी भी LGBTQ (लेस्बियन, गे, वाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर) लोगों के लिए निरंतर संघर्ष का एक मुद्दा है।

यद्यपि विभिन्न ऑनलाइन और वास्तविक विश्व के मंचों के माध्यम से सुनी जाने वाली LGBTQ लोगों की आवाज, LGBTQ एक्टिविज्म (सक्रियता) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तथापि ये इस समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों के केवल छोटे से अंश को प्रकट करती है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए:

- (a) स्पष्ट कीजिए कि LGBTQs के विरुद्ध होने वाले भेदभाव उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न करते हैं।
- (b) उनकी बेहदरी और उन्हें समाज में आत्मसात करने हेतु इस समूह के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्या अभिवृत्तिक परिवर्तन आवश्यक हैं?

समलैंगिकता का अर्थ है कि समान लिंग वाले व्यक्तियों का आपसी निकट संबंध जिससे वह एक-दूसरे की लैंगिक भावनाओं के प्रति संतुष्ट होते हैं।

इस केस स्टडी के विभिन्न हितधारक निम्न हैं -

- LGBT & समाज
- आम-जनता
- सरकार व नागरिक समाज
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति

(a) जीवन जीने का अधिकार व साक्षी चुनने का अधिकार एक सार्वभौमिक व मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है। परन्तु LGBT & <sup>वर्ग</sup> समाज को अभी भी समाज में स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हुई है।

LGBT & द्वारा खासना की जाने वाली चुनौतियाँ :-

- समाज में इस वर्ग को गंभीर नजर से देखना व चा इन्हें न अपनाना।

Don't write  
anything in  
margin  
(इस बात को  
किसी भी किताब में  
लिखें नहीं)

- सामाजिक बहिष्कार की समस्या
- अपने अधिकारों के शोषण करने से बचने के लिए।
- सरकारी स्तर पर अनुचित उदासीनता तथा आर्थिक नेताओं द्वारा शोषण भावों।

ये चुनौतियाँ इनके जीवन को निम्न प्रकार प्रभावित करती हैं :-

- जीवन जीने के आसपास से बचने व गरिमापूर्ण जीवन जीने के आसपास से बचने का प्रयास करना है।
- सामाजिक वर्ग (LH B79) को समाज में स्वीकार्यता न मिलने से सामाजिक स्तरान बढ़ गया है जिससे सामाजिक अकेलापन उत्पन्न होता है।
- रोजगार स्थलों पर बुरी निगती से इस वर्ग के प्रति पूर्णतः रचना भावों।

हालांकि इस संघर्ष में मानवीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा IPC

की धारा 377 में कि ग़र परिवर्तन एक ऐतिहासिक कदम है परन्तु नागरिक समाज, सेगमेंटों व सरकारों को सश्रिय होकर इनके सामाजिक विकास को प्रोत्साहित कर पूर्वोक्त को लघाना होगा जिससे यह वी भी सामाजिक - आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

(b) LGBTQ वर्ग की बेहबरी व समाज में भागस्वात करने हेतु निम्न उपायों की आवश्यकता है -

- सर्वप्रथम इस LGBTQ वर्ग को समाज में मुख्यधारा में शामिल करने हेतु मानवीय तर्कों पर जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि हर किसी को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है।
- कार्यस्थलों पर अदृष्टता से बचने हेतु ओम्बुड्समैन या त्वरित शिकायत निपाण केन्द्र

- की स्थापना को अस्वीकार्य कनाया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तरों का उदाहरण देकर भाषा-निष्ठा के युग में समाजों में इसकी स्वीकार्यता हेतु विविध माध्यमों को मान्यता प्रदान कर।
- विभिन्न सिविल सोसाइटीज द्वारा धरातल स्तर पर मानवीय प्राथमिकता के आधार पर समाज को इस वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह से निष्ठाकारण एक नए काल के प्रयास किए जाने चाहिए।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज भी LADT वर्ग सामाजिक पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं, जिनके इसके समाधान हेतु सरकारी प्रयासों को एकीकृत व बहुआयामी तरीके अपनाने की आवश्यकता है जिससे सामाजिक समन्वय स्थापित हो।

10. In a metropolitan city a new metro rail project has been sanctioned. The project is expected to reduce traffic congestion, lower the pollution levels in the city and save significant amount of fossil fuel. However, the project requires construction of a car shed for the metro terminus station.

The city is already very congested and not much land is available except a patch of green belt within the municipal area. Consequently, the municipal corporation's Tree Authority approved a proposal to cut down about 2700 trees to make way for the metro car shed.

The approval enraged environment action and citizens' groups who have organized protest rallies demanding withdrawal of this order and conservation of the green belt. The print and electronic media also took up the cause.

Given the situation, answer the following:

(a) Identify the different stakeholders in the given case. Also, bring out the issues involved from the point of view of different stakeholders.

(b) If you are the Municipal Commissioner, what course of action will you adopt keeping in mind the interests of different stakeholders? (20)

एक महानगर में एक नई मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना में यातायात की भीड़ को कम करने, शहर में प्रदूषण के स्तरों को कम करने और उल्लेखनीय मात्रा में वृक्षों के कटने की वजह से जाने की अपेक्षा है। हालांकि, इस परियोजना हेतु मेट्रो टर्मिनस स्टेशन के लिए एक कार शेड का निर्माण आवश्यक है।

यह नगर पहले से ही बहुत अधिक भीड़-भाड़ से युक्त है और नगरपालिका क्षेत्र के भीतर हरित पट्टी वाले भू-भाग के अतिरिक्त ज्यादा भूमि उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप, नगर निगम के वृक्ष प्राधिकरण ने मेट्रो कार शेड हेतु लगभग 2,700 वृक्षों को काटने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है।

इस अनुमति से पर्यावरण कार्यवाही और नागरिक के समूहों में रोष है, जिन्होंने इस आदेश को वापस लेने और हरित पट्टी के संरक्षण की मांग को लेकर विरोध रैलियों का आयोजन किया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस मुद्दे का उठाया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(a) दिए गए प्रकरण में विभिन्न हितधारकों की पहचान कीजिए। साथ ही, इसमें विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण से सम्भावित मुद्दों को स्पष्ट कीजिए।

(b) यदि आप नगर आयुक्त हैं, तो विभिन्न हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्रवाई करेंगे?

यह प्रकारण आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय व सामाजिक असंतुलन की स्थिति को स्पष्ट करता है। जहाँ एक ओर समावेशी आर्थिक विकास का मुद्दा है तो दूसरी ओर पर्यावरण निम्नीकरण का मुद्दा।

(a) विभिन्न दित चारक :-

- (i) मैट्रो रेल परियोजना संचालक व सेगठन
- (ii) नगरपालिका के स्थानीय निवासी
- (iii) नगर निगम प्राधिकरण (सरकार)
- (iv) पर्यावरणीय सक्षिपकर्ता
- (v) प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मिडीया।

(i) मैट्रो रेल संचालक की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जल्दी ही उसे इन बृच्चों को बाह्य की अनुमति मिले जिससे परियोजना जल्दी पूर्ण हो।

(ii) नगरपालिका के स्थानीय निवासियों हेतु निम्न लागत में परिवहन सामान उपलब्ध होंगे।

## VISION IAS™

- (iii) नगर निगम प्राधिकरण को संतुलित एवं सन्तुलित रूप से कार्य करना चाहिए ताकि एक ओर वृद्धों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दूसरी ओर स्वीकृत कर से वृद्धों को लाभकारी कार्यवाहियों के साथ लाभकारी कर से।
- (iv) पर्यावरणीय स्थितियों के अनुसार निसी भी कीमत पर पर्यावरणीय क्षति न होने देना इसका अर्थ है प्रदूषण व रक्षकों का सहारा लेना।
- (v) इन्फ्रामैक्रो व प्रिंट मिडीया से निसी के नया-सुझावों को प्रसारित करने की शक्ति निगम।
- (b) अगर मैं इस क्षेत्र का नगर संप्रदाय होता तो निम्न संरचना प्रक्रिया अपनाता :-
- (i) सर्वप्रथम एक संयुक्त बेंच का निर्माण करना जहाँ विशेषज्ञ, पर्यावरणीय कार्यवाही तथा स्थानीय नेता शामिल होकर एक बहुभाषी विशेषज्ञ बनने का प्रथम कार्य।

- (ii) सभी रिलेगेशनों के रिजो में समन्वय स्थापित करने हेतु पास में ऐसी जमीन की तलाश करता जहाँ वृक्षों की बिना लटरि के परिचोजना पूरे हो सके।
- (iii) अगर वृक्षों की लटरि की लिपि अपरिहार्य बन गई है तो परिचोजना सुझाव से बात करते (AMPA अधिनियम, 2016 के तहत प्रतीपूख वनीकरण का सुझाव देकर अर्थात् को काम करने का प्रयास करता।
- (iv) फ्रिट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे इस परिचोजना की आवश्यकता व लक्ष्यों को प्रसारित करता तथा आमजन के समझा प्रतीपूख वनीकरण हेतु पारदर्शिता व जवाबदारी सुनिश्चित करता।
- (v) इन सभी प्रयासों के बावजूद भी अगर परिचोजना रूपल पर चले व रिलिफ होगी तो स्थानीय प्रशासन की मदद से

कानून कवचा से काले हट पुजिस  
 बल की सहायता लूंगा।  
 इस प्रकार से उपरिष्ठ  
 परिस्थिती में मेरा विविध बहुआयामी  
 प्रारिजोण प्रकृत होगा जो सभी  
 हितधारकों में संतुलन स्थापित कर  
 आर्थिक विकास व सतत सेवार्थीय  
 पर्यावरण की निरंतरता सुनिश्चित  
 करेगा।

11. The right to protest is an integral part of democracy. But protests often take a violent turn and lead to destruction of life and property. In such situations, it is the duty of the police force to deal with the violent protests and restore normalcy.

In this context, answer the following questions:

(a) What challenges does the police force face in such situations?

(b) As the SP in the capital city of a state where such protests often take place, how would you deal with such a situation when faced with it? (20)

विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। लेकिन विरोध प्रदर्शन प्रायः एक हिंसक मोड़ ले लेते हैं और जीवन व संपत्ति के हानि का कारण बनते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, हिंसक विरोध प्रदर्शनों में निपटना एवं सामान्य स्थिति पुनर्स्थापित करना पुलिस बल का कर्तव्य है।

इस संदर्भ में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(a) ऐसी परिस्थितियों में पुलिस बल को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

(b) एक राज्य की राजधानी के SP के रूप में, जहां इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन प्रायः होते रहते हैं, इस तरह की परिस्थिति का सामना होने पर आप उनसे कैसे निपटेंगे?

शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार व सम्मेलन का अधिकार लोकतंत्र का स्तंभ हैं तथा भारतीय संविधान के अनुसार यह सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है लेकिन इस पर भी प्रतिबंध होते हैं।

इस केस स्टडी में निम्नलिखित हितधारक सम्मिलित हैं -

- विरोध प्रदर्शनकर्ता
- पुलिस
- सरकार

(a) पुलिस द्वारा साधना की जाने वाली चुनौतियाँ :-

→ हिंसक गतिविधियों का न्यून पालन व्यवस्था को अनिश्चित कर देती हैं।

→ अधिक संघर्ष में लोगों के होने से पुलिस को जान-माल की हानि की संभावना रहती है। (जैसे - हाल ही में दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर की हत्या)

→ स्वयं सुरक्षा के अधिकारों का सीमित होना।

→ स्थानीय राजनैतिक हस्तक्षेप की समस्या।

→ प्रभावी प्रशिक्षण तथा प्राचिनक पुलिसिंग फ़ौज की कमी।

जैसे - सभी पुलिस मुख्यालयों पर ड्रोन तस्करी का स्थापित न होना आदि।

(b) राज्य की राजधानी के SP होने के नाते मुझ पर हमला यह नैतिक व विधिक दायित्व होगा कि कानून व्यवस्था को संभाले रूप में कोशिशें यह मेरी जिम्मेदारी भी है और आम लोगों में विश्वास को बचाना भी अधिक विकसित होगी, अन्ततया आम-जन यह सोचेंगे कि राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। जो अन्य जिले क्या सुरक्षित होंगे। अतः मैं निम्न एप्रोच को अपनाऊंगा।

(i) सर्वप्रथम यह जांच करूंगा कि उपरोक्त घटना प्रदर्शन हेतु प्रशासन से अनुमति ली गई या नहीं।

(ii) अगर हिंसात्मक रूप की ओर विरोध प्रदर्शन शुरू आदिनाचार धारता है तो मैं पूरी पुलिस फोर्स को सन्ध्या वार तत्पर रख रहे हेतु आदेश दूंगा एवं विरोध स्थल पर स्थानीय नेताओं से वक्तव्यीत कर इसे

# VISION IAS™

रोकने का प्रयास करेगा।

(iii) अगर इसे रोकने में वातनीत का रास्ता विफल हो जाता है तो डेलीगेट शक्ति का प्रयोग कर प्रभावित इलाके में धारा 144 का अस्थायी प्रयोग करेगा तथा अगर भ्रामक सूचनाओं का अधिक प्रसारण हो रहा है तो संसद प्रभाव से कुछ समय के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध था 44 से 24 सेवाओं तक सीमित करने का आदेश देगा।

(iv) अगर तब भी धरना प्रदर्शन जारी रहता है तो यह सार्वजनिक कार्यों को बाधित करेगा एवं मेरी जिम्मेदारी के अनुरूप मैं पुलिस बल के प्रयोग से भीड़ को तितर-बितर करने हेतु आंखू जेल के जालों या ऐसे हथियारों का प्रयोग करेगा जिससे जन हानि न हो तथा वास्तुन

जपान का फूल: स्थापित किया  
जा सके।

इस तरह मैं एक एकीकृत  
एप्रोच अपनाऊंगा जो मुझे धीरे  
धीरे के पालन करने में समर्थ  
बनाए वहीं इसी धार आभ-लगां  
में सुरक्षा की भावना भी परतवार  
रखे।

12. The founding fathers of the Indian Constitution envisaged a neutral, apolitical civil service. The conduct rules governing the All-India Services explicitly prohibit participation of a member of service in politics. It also limits connection of officers with Press or Radio to matters of public interest. And it also prevents them from criticizing the Government in public.

(a) Why is it important for civil servants to be politically neutral?

(b) Highlight the challenges faced by politically neutral civil servants in different situations. (20)

भारतीय संविधान के संस्थापकों ने एक तटस्थ व अराजनीतिक सिविल सेवा की परिकल्पना की थी। विभिन्न भारतीय सेवाओं को शासित करने वाले अलग-अलग नियम, संवधानी व्यवस्था की राजनीति में भागीदारी को मना करने व प्रतिबंधित करने हैं। यह अवधि के मामलों में प्रेस या रेडियो के माध्यम से अराजनीतिक व अराजकीयता को भी सीमित करता है और यह उन्हें सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना करने से भी रोकता है।

(a) सिविल सेवकों के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ होना क्यों महत्वपूर्ण है?

(b) विभिन्न परिस्थितियों में राजनीतिक रूप से तटस्थ सिविल सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को रेखांकित कीजिए।

आधुनिक आरक्षण शैलियों का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत व संयुक्त भारत का निर्माण है करता है जहाँ सभी राज्यों का अविनाशी संबंध होगा। इस तरह विभिन्न शैलियों के लिए मान्यता शक्ति व आन्वयण शक्ति को विकसित किया गया है जो उन्हें स्यात करे व ज्या न करे तथा व्यापक जीवन व सार्वजनिक जीवन के प्रमुख मंत्रसंकेतों को बताती हैं।

(a) सिविल सेवकों के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना महत्वपूर्ण है।  
कारण :-

- उन्हें सम्पूर्ण पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ काम करना होता है, अतः किसी राजनीतिक पक्ष के लिए इन नैतिक गुणों को कमजोर नहीं किया जा सकता है।
- सर्वजनहित सिद्धांत पालन हेतु आवश्यक है कि निष्पक्षता के साथ निर्णय ले न कि राजनीतिक दबाव में।
- चूंकि सिविल सेवक एक सार्वजनिक अधिकारी हैं अतः उसके लिए जनसेवा ही सर्वोपरि होनी चाहिए।
- राजनीतिक दबाव में किया गया काम हमेशा अग्र उत्पन्न करता है जिससे भ्रष्टाचार में पकड़े जाने का डर रहता है एवं पारिवारिक संबंधों को भी अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करता है।

# VISION IAS™

अतः अपने कर्तव्यों के पालन करते समय सिविल सेवकों को स्वयं से ऊपर उठकर सदान्वार जनसेवा के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए।

(b) राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो निम्न हैं -

- स्वामीय राजनीतिक दबाव के कारण अपने कर्तव्यों को सत्यापितता माध्यम पर करने में समस्या
- ट्रांसफर के कारण भ्रम पैदा करने की गारंटी नौकरी करना
- राजनेताओं द्वारा अनैतिक व्यवहार करना। जैसे - सामंजसिक स्थल पर सिविल सेवकों को गाली देना।
- राजनीतिक दबाव में कार्य करने हेतु मजबूर करने की प्रथास करना।

Don't write  
anything in this  
margin  
(किस भी चीज  
को न लिखें)

- कभी कभी जन शक्ति का  
अंतर ही अंतर हो सकता  
है।
- परिवार के सदस्यों को धमकी  
मिलना आदि।

इस प्रकार की अनेक  
घटनाएँ हैं जो राजनीतिक रूप  
से तटस्थ रहने वाले सिविल सेवकों  
के समक्ष आती हैं।

परन्तु एक निडर, साहसी  
व हृद निश्चयी सिविल सेवक बिना  
किसी अग्र से अपने निष्पक्ष को  
राजनीतिक रूप से तटस्थ रखकर  
सहान्यार स्थापित करता है।

अतः किसी ने सही कहा है कि  
डर पर विजय जाना ही साहस है,  
और साहस ही व्यक्ति को  
सुख का अनुभव कराता है ॥

13. Recently, the Motor Vehicles Act was amended to hike the fines for violations of various traffic rules. While the intention of the amendments was to deter people from violating the law and strictly follow traffic rules in the interest of road safety, these measures are being opposed as it is felt that the fines are too excessive and beyond the reach of common man.

(a) In light of this, critically analyse the ethical aspects of the recent amendments.

(b) Are legislative measures alone sufficient in bringing about behavioural change? (20)

हाल ही में, विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदंड को बढ़ाने हेतु मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था। हालांकि, संशोधनों का उद्देश्य लोगों को कानून का उल्लंघन करने से रोकना और सड़क सुरक्षा के हित में यातायात नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करने हेतु माध्यम करना था, लेकिन इन उपायों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि अर्थदंड अत्यधिक हैं और सामान्य जन की क्षमता से परे हैं।

(a) इस तथ्य के आलोक में, हालिया संशोधनों के नैतिक पहलुओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

(b) क्या व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने के लिए केवल विधायी उपाय पर्याप्त हैं?

हाल ही में मोटर वाहन कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया। हालांकि यह विषय समझती सूची का है।

मुद्दा चर्चा से यह रहा कि कानून उल्लंघन पर इतने बड़े अर्थदंड का क्या औचित्य है। अर्थात्

एक स्कूटर चलाने वाला इन निर्णयों के उल्लंघन पर स्कूटर बेचना भी अर्थदंड न कर सके ऐसा सिद्धी उपलब्ध हो गई।

इस केस स्टडी में निम्न विषयों को सम्मिलित है -

- जारी - चालक
- यात्रायात्रा कर्मी
- क्रेडिट तथा राज्यासम्पत्तियाँ
- आम - जन ।

(v) हाल ही में मानून मोटर (संशोधन) अधिनियम में निम्नलिखित अवयव मौजूद हैं -

- सड़क सुरक्षा हेतु सभी के लिए बीमा को अनिवार्य बनाना।
- सड़क सुरक्षा निधी स्थापित करना।
- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु मासिक दण्डों को 10 से 20 गुना तक बढ़ाना आदि।

पक्ष में तर्क :-

- इन जकार अर्थदण्डों से चालकों में अप्रतिफल होगा ताकि वे बिना नो व लाइसेंस के कण्डन न चलायें। जिसका परिणाम सड़क दुर्घटना में कमी एवं सड़क सुरक्षा में सुधार होगी।

बूले भारत सड़क पूर्णतया मरुपु  
में विषय में प्रथम स्थान रखता  
है तो इस हेतु यह संशोधन  
उपयोगी साबित होगा।

→ सभी लोगों का इंश्योरेंस होने  
से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित  
होगी।

→ नियमों के अनुपालन संबंधी प्रैक्टिस  
मूल्यों का विकास व प्रियत्व  
सुनिश्चित होगा।

विपक्ष में तर्क :-

→ अर्थदंड की भारी-भरकम  
प्रकृति आम-जन की पहुँच से  
बाहर।

→ सड़क उद्योग में अल्पाधिकारी  
जबकि अर्थदंड का बाल्याधिकारी होना  
वहाँ तक उचित है।

→ एक बड़े वर्ग का असाधारण होना  
जागरूकता में कमी का संकेत  
देता है।

→ ऐसा माना गया है कि यह  
संशोधन अत्याचार को और  
बढ़ावा देगा।

अतः सही पक्ष - विपक्षों को शत्रु  
में रखते हुए एवं सहकारी संबंधों  
आधारित निर्णय लेने की आवश्यकता  
है।

(b) व्यवहारिक परिवर्तन हेतु किए  
जाने वाले उपाय :-

- जागरूकता में वृद्धि द्वारा
- सामाजिक उदाहरणों द्वारा।  
जैसे - स्वयं पुलिस अधीनस्थों  
द्वारा नियमों का पालन करना।
- बौद्धिक प्रशिक्षण द्वारा नियमों  
के अनुपालन हेतु लोगों को  
प्रसाहित करना
- स्कूली स्तर पर सड़क सुरक्षा  
तथा कानून अनुपालन नियमों  
को पाठ्यक्रम में शामिल करना।
- विधिक उपायों द्वारा।  
जैसे - लाइसेंस का कृष्य  
निष्प्रेत समर्थन एवं निर्लेखित  
करना तथा अर्बिट्रिज आदेशित  
करना आदि।

उत्तर: बाधा जा सकता है कि  
 सामाजिक परिवर्तन हेतु केवल विदेशी  
 सहायता ही, नहीं मही है क्योंकि  
 इनके आर्थिक क्षेत्रफल व बुद्धिचार  
 की अभावता के कारण आवश्यक  
 परिवर्तन हेतु सन्त विचारों को  
 अपनाने की भी आवश्यकता है।

14. Artificial intelligence is rapidly transforming economy and society and will almost certainly continue to do so in the coming decades. This transformation will have deep ethical impact, with these powerful new technologies both improving and disrupting human lives. In this context, identify the ethical considerations, if any, of the following issues associated with the use of AI:

(a) Privacy

(b) AI induced unemployment

(c) Potential for misuse

(20)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीवता में अर्थव्यवस्था एवं समाज को परिवर्तित कर रही है और आगामी दशकों में भी यह प्रक्रिया निश्चित रूप में जारी रहेगी। इस परिवर्तन का महान नैतिक प्रभाव होगा, क्योंकि इन अभियांत्रिकी नवीन तकनीकों में मानव जीवन में सुधार तथा व्यवधान दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। इस संदर्भ में, AI के प्रयोग में संभव निम्नलिखित मुद्दों की नैतिक चिंताओं (यदि कोई हो) की पहचान कीजिए:

(a) निजता

(b) AI प्रेरित बेरोजगारी

(c) दुरुपयोग की संभावना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है कि ऐसी मशीन का निर्माण करना जो स्वयं सीखने, अनुभव करने तथा निर्णय लेने की क्षमता रखती हो। जैसे- बिना इंटरनेट के कार का चलना।

(a) निजता से संबंधित नैतिक चिंता :-

निजता व्यक्ति का मूल अधिकार है परंतु यह ~~अधिक~~ AI निज नैतिक चिंताओं को जन्म देता है।

- A.I की पहुँच न केवल औद्योगिक कार्यस्थलों तक सीमित होगी बल्कि यह घरों व व्यापारिक कार्यालयों तक पहुँच बना लेगी जो अनैतिक हैं।
- बैंकिंग संबंधित सेवाएँ की संभावना होगी तथा पासवर्ड चोरी जैसे अनैतिक मूल्यों के खतरे की संभावना होगी जिससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
- ग्लोबल आर्थिक डाटा चोरी के कारण डाटा सुरक्षा की चिंता जो निजी जीवन को हानि पहुँचा सकती है आदि

(b) A.I प्रेरित बेरोजगारी :-

- A.I के व्यापक प्रचलन से आर्थिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी तथा कार्यबल की संख्या में कमी होगी, इससे निम्न नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी-

# VISION IAS™

→ ~~अच्छे~~ उरिक्तपूर्ण जीवन जीने तथा रोजगार मिलने से वंचित होना

→ साक्षर वृद्धनिश्चयता जैसे नैतिक मूल्यों की कमी :-

क्योंकि जब व्यवहार सीमित होंगे तो हीन मानसिकता का जन्म होगा जो साक्षर में कमी को प्रेरित कर नकारात्मक धारणा का विकास करेगा।

→ भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक गुणों का और अधिक विकास होगा।

उदाह के तौर पर कर्तमान में लॉन्गड्रॉप के कारण बेरोजगारी ने चोरी जैसे कृत्यों को अधिक बल दिया है। अतः स्पष्ट

है कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार, चोरी जैसे अनैतिक कार्यों को बढ़ावा देगी।

(C) दुरुपयोग की संभावना :-

→ सूक्ष्म वरि असक्षम वर्गों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेगा। अतः A-I तक बिना चुन्य वाले वर्गों के समक्ष सामाजिक भेदभाव घट्टे होगी तथा निजता के आधिकार हनन की संभावना भी बढ़ेगी।

→ आर्थिक रूप से असमानता बढ़ेगी जिससे प्रमुख शक्ति प्रमुख व अमीर आर्थिक अमीर बनेगा। फलस्वरूप अज्ञानता जैसे शून्यता गुणों के विकास से A-I का दुरुपयोग बढ़ेगा।

→ अतः यह अपेक्षित कदम होगा कि इन शून्यता-शून्यता के समाधान हेतु सरकार व कोरपोरेट समाज एक समायोजी शक्ति प्राप्त कर सकी की चुन्य

# VISION IAS™

Don't write anything this page!  
एक पन्ना के कुछ कागज निकलें

समान हो, प्रपनारे एवं इस क्षेत्र  
में सरकार को विधि द्वारा प्रेरित  
मूल्यों के प्रति चिंतन को काम  
करने का प्रयास करना - (अर्थ)